## uxj iapk;r lqtkuiqj] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj] fgekpy izns'k ds ys[kksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfronu

## vof/k 01-04-09 ls 31-03-2010

## Hkkx&,d

iSjk 1 ¼d½ izkjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vads{k.k vof/k ds nkSjku vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds in ij fuEufyf[kr iz/kku o lfpo dk;Zjr jgs %&

iz/kku %&

| Øekad | uke | vof/k |
|---|---|---|
| 1 | श्री मनोज ठाकुर | 01.04.09 से 31.03.10 |

lfpo %&

| Øekad | uke | vof/k |
|---|---|---|
| 1 | श्री जगपाल सिंह | 01.04.09 से 31.03.10 |

¼[k½ uxj iapk;r lqtkuiqj ds ys[kk vof/k 04@2009 ls 03@2010 esa ik;s x;s xEHkhj vkifÙk;ksa dk lkjka'k %&

| Øekad | iSjk la[;k | vads{k.k vkifÙk dk laf{kIr lkj |
|---|---|---|
| 1. | पैरा 9 | अनुदान की राषि ₹43.35 लाख दिनांक 31.03.10 तक व्यय हेतु शेष |
| 2. | पैरा 10 | गृहकर राषि ₹18.72 लाख दिनांक 31.03.10 को वसूली हेतु शेष। |
| 3. | पैरा 11 | दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31.03.10 को ₹4.93 लाख |

| | | |
|---|---|---|
| | | वसूली हेतु शेष। |
| 4. | पैरा 15 | तहबजारी की राषि ₹0.51 लाख की कम वसूली। |
| 5. | पैरा 22 | वित्तिय वर्ष 2009–10 के दौरान राषि ₹0.34 लाख के मानदेय का गलत एवं अनियमित भुगतान। |
| 6. | पैरा 23 | श्री राकेष कुमार, अधिवक्ता को राषि ₹0.60 लाख के मानदेय का गलत भुगतान। |
| 7. | पैरा 24 | सचिव को राषि ₹0.19 लाख का आवासीय टैलीफोन/सैलफोन के व्यय की अनियमित प्रतिपूर्ति के कारण अधिक भुगतान। |
| 8. | पैरा 26 | एग्रो इन्डस्ट्रीज ज्वालामुखी द्वारा तारकोल की कम आपूर्ति के कारण राषि ₹0.38 लाख की हानि। |
| 9. | पैरा 29 | अनुदान राषि ₹0.37 लाख का अनाधिकृत व्यय। |

¼x½ xr vadsk{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

# Hkkx nks

## 2 orZeku vads{k.k %&

नगर पंचायत सुजानपुर के वर्तमान लेखाओं का अंकेक्षण श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुषील कुमार आर्टीकल असिस्टैन्ट द्वारा दिनांक 28.03.11 से 06.04.11 तक सुजानपुर में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय व व्यय के लिए क्रमषः माह 03/2010, 05/2009 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्षाया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत सचिव द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

## 3 foÙkh; fLFkfr %&

नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा की अवधि 01.04.2009 से 31.03.2010 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति परिषिष्ट ''ए'' के पेज नम्बर 1, बैंक समाधान विवरणी पेज नम्बर 2, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की वित्तीय स्थिति पेज नम्बर 3 व विभिन्न बैंकों में 31.03.10 को निवेष का विवरण पेज नम्बर 4 पर दिया गया है।

## 4 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 01.04.2009 से 31.03.2010 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹8,750/–आंका गया है। जिसे नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा द्वारा एस0बी0आई0 के बैंक ड्राफ्ट संख्या 875545, दिनांक 19.04.2011 के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 को भेज दिया गया है।

## 5 vk; izkfIr gsrq iz;ksx dh xbZ ¼th&8½ ds lUnHkZ esa %&

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः 1/63/06–यू0डी0 (ऑडिट)–बी0ओ0एल0–1–12812, दिनांक 15.11.2006 के अनुसार ''पालिका समय–समय पर प्रस्ताव पारित करके यह निर्धारित करेगी कि पालिका के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जी–8 हस्ताक्षारित की जाएगी। परन्तु नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा द्वारा उक्त पत्र में विहित आदेषों की आज तक पालना नहीं की गई व न ही उक्त पत्र के अनुसार प्रत्येक जी–8 पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र कि ''रसीद

बुक में कितनी रसीदें हैं'' सचिव, नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोग हो चुकी जी–8 पर आवष्यक प्रमाण पत्र कि ''इस रसीद बुक के अर्न्तगत संग्रह की गई राषि का लेखांकन पूर्ण करने उपरान्त यह राषि पालिका निधि में जमा करवा दी है'' नहीं दिया जा रहा है। जो कि उक्त पत्र के अर्न्तगत जारी दिषा–निर्देषों की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त पत्र के दिषा–निर्देषो की अनुपालना न करने के कारणों को तथ्यों सहित आगामी अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से उक्त पत्र में उल्लेखित सभी निर्देषों की कड़ाई से अनुपालना की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार के गवन की सम्भावना को रोका जा सके।

6 'kjkc dj dh jkf'k dh olwyh u djuk %&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0सी0(9)–28/96–1, दिनांक 01.12.1999 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में बिकने वाली शराब की बोतलों पर एक रुपये प्रति बोतल कर की राषि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा नगर पंचायत को भुगतान की जानी थी। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि एक रुपये प्रति बोतल शराब कर की राषि वर्ष 2009–10 में नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुई। नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त राषि वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित थी। आगामी वर्षों से सम्बन्धित शराब शुल्क की राषि समय पर प्राप्त न होना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा देय राषि को सम्बन्धित विभाग से अविलम्ब वसूल किया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 'kgjh fodkl foHkkx] fgekpy izns'k }kjk fu/kkZfjr dj dh olwyh u djuk %&

हिमाचल प्रदेष शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः एल0एस0जी0–डी(1)9/94, दिनांक 08. 11.1999 द्वारा नगर पंचायत निम्नलिखित कर वसूलने हेतु अधिकृत की गई है :–

| Øe la[;k | Js.kh | dj dh vf/kdre lhek |
|---|---|---|
| 1 | शो टैक्स | ₹50/–प्रति शो |
| 2 | कुत्तों पर कर | ₹50/–वार्षिक प्रति कुत्ता |
| 3 | विघुत उपभोग कर | एक पैसा प्रति यूनिट |
| 4 | विज्ञापन कर | ₹300/–प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष |

जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा में उपरोक्त उल्लेखित करों में से एक भी कर नगर पंचायत द्वारा अरोपित नहीं किया गया। जिसके कारण नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय में लाखों रुपये की हानि हुई है। नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा की अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय को बढ़ाने हेतु सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त

उल्लेखित सभी करों को सभा से पारित करने उपरान्त लागू करने की आवष्यकता है ताकि नगर पंचायत सुजानपुर की अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

8 fu/kkfjr ekin.Mks ds vuq:i xgdj dh x.kuk u djds LoPNkuqlkj x.kuk djuk %&

नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा में गृहकर की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर की गणना बिना किसी आधार के स्वेच्छानुसार की गई है शहरी विकास विभाग द्वारा गृहकर की गणना हेतु समय–समय पर जारी किए गए निर्देषों की कभी भी अनुपालना नहीं की गई। गत वर्षों से लेकर दिनांक 31.03.10 तक गृहकर की गणना हेतु कभी भी तकनीकी कर्मचारी अर्थात कनिष्ठ अभियन्ता से नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा के अधिकार क्षेत्र में सम्मलित 9 वार्डों में स्थापित घरों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, ढ़ाबों, सिनेमा हालों इत्यादि का नियमों के अनुरूप गृहकर निर्धारण नहीं करवाया है। नगर पंचायत कार्यालय में कार्यरत एक क्लर्क द्वारा स्वेच्छा से बिना किसी ठोस आधार के Annual Rental Value की गणना साक्ष्यों के बिना मनचाहे दरों पर की जाती है व तदानुसार गृहकर का निर्धारित कर दिया जाता है। अतः उक्त गम्भीर प्रकरण निदेषक, शहरी विकास विभाग के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही करने हेतु उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सुजानपुर के सचिव से अनुरोध किया जाता है कि वह तुरन्त प्रभाव से गृहकर का आंकलन तकनीकी कर्मचारी से निर्धारित दिषा निर्देषों के अनुसार करवाना सुनिष्चित करें।

9 vunku dh jkf'k ₹43-35 yk[k fnukd 31-03-10 rd 0;; gsrq 'ks"k %&

अनुदानों की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009–10 में नगर पंचायत सुजानपुर द्वारा निर्धारित उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु ₹86,28,303 विभिन्न अनुदानों के रूप में प्राप्त किए गए। वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत व्यय हेतु उपलब्ध राषि ₹1,36,34,737/–में से ₹92,99,674/–ही विभिन्न स्कीमों के अर्न्तगत निर्धारित उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय किए गए। इस राषि का विवरण परिषिष्ठ–''ए'' पृष्ठ–1, 5 व 6 पर उपलब्ध है। फलस्वरूप नगर पंचायत विभिन्न ऐजेसियों से विभिन्न स्कीमों के अर्न्तगत उपलब्ध अनुदान राषि में से ₹43,35,063/–व्यय करने में दिनांक 31.03.10 तक असमर्थ रही। जहां अनुदान राषि को निर्धारित समयवधि में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न करने के कारण अनुदानों का अनावष्यक संग्रह हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अनुदान राषियों के व्यय न करने के कारण वास्तविक लाभार्थी भी अनुदान राषियों के अर्न्तगत स्कीमों का लाभ उठाने से वंचित रहे। अतः इस गम्भीर प्रकरण में निदेषक, शहरी विकास विभाग के तुरन्त हस्तक्षेप की आवष्यकता है। ताकि अनुदानों के अर्न्तगत शेष राषियों को उन उद्देष्यों एवं

लक्ष्यों पर खर्च किया जा सके, जिन उद्देष्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त अनुदान राषियां प्राप्त हुई हैं।

10 x'gdj jkf'k ₹18-72 yk[k fnukd 31-03-10 dk olyh grq 'k"k %&

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2010 को गृहकर के रूप में ₹18,72,284/–वसूली हेतु शेष थे। गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राषि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

| Øe l[;k | okMZ uEcj | olyh grq 'k"k jkf'k |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 60,499.00 |
| 2 | 2 | 5,22,689.00 |
| 3 | 3 | 2,51,503.00 |
| 4 | 4 | 67,753.00 |
| 5 | 5 | 2,86,975.00 |
| 6 | 6 | 1,47,147.00 |
| 7 | 7 | 96,756.00 |
| 8 | 8 | 1,86,485.00 |
| 9 | 9 | 2,52,477.00 |
| | ;kx | ₹18]72]284-00 |

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि वार्ड नम्बर 2 से गृहकर के रूप में ₹5,22,689/–वसूली हेतु शेष है व कुल ₹18,72,284/–वसूली हेतु शेष है। वसूली हेतु अत्याधिक मात्रा में अर्थात कई लाखों में शेष रहना नगर पंचायत सुजानपुर की गृहकर की वसूली की प्रक्रिया पर प्रष्नचिन्ह लगाता है। अतः गृहकरों की वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए ताकि गृहकर की सम्पूर्ण वसूली सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0एल0बी0–एच0(ए)(7)–1/84–9237–9284, दिनांक 20.06.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिषत वसूली न करने की अवस्था में सम्बन्धित सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेष पालिका नियम 1994 के अनुसार यदि कोई राषि, टैक्स, शुल्क पालिका को देय हैं व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 पर उपनियम (2) व (3) पुनः उल्लेख करता है कि अगर दोषी नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति की

चल सम्पति को बेचकर देय राषि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा व उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्त्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। इसके वावजूद भी सम्बन्धित नगर पंचायत सुजानपुर के सचिव द्वारा गृहकर की सम्पूर्ण वसूली हेतु कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। जिसके कारण गृहकर के रूप में 31.03.10 को ₹18,72,284/–वसूलने हेतु शेष थे। अतः गृहकर की 100% वसूली हर एक वित्तीय वर्ष के अन्त तक की जानी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 n|dkuks dk fdjk;k dk :i es fnukd 31-03-10 dks ₹4-93 yk[k olwyh gsrq 'ks"k %&

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2010 को नगर पंचायत सुजानपुर द्वारा दुकानदारों से किराये के रूप में ₹4,93,290/–वसूली हेतु शेष थे। हिमाचल प्रदेष म्यूनिसीपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राषि, टैक्स, शुल्क म्युनिसीपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 उपनियम (2) व (3) पुनः उल्लेख करता हैं कि अगर दोषी नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद को भुगतान नहीं करता है तब सचिव दोषी फर्म, संस्था व व्यक्ति की चल सम्पत्ति को बेच कर, देय राषि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा। उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्त्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। दुकानों के किराये के मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत सुजानपुर के पास 66 दुकानें हैं जिन्हें प्रतिमाह अलग–अलग दरों पर किराये पर दिया गया है। जिनमें से दुकान नम्बर 11, 34, 44, 56 57, 62 व 65 के किरायेदारों ने 2009–10 में एक भी माह का किराया नहीं दिया है शेष दुकानों में भी एक भी किराएदार ऐसा नहीं है जो प्रतिमाह नियमित रूप से दुकान का किराया दे रहा है। उक्त दुकानदारों के साथ किए गए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक दुकानदार प्रत्येक माह की 10 तारीख को अग्रिम किराए के रूप में अगले माह के दुकान किराए का भुगतान करेगा व यदि दुकानदार ऐसा करने में असमर्थ रहता है। तब 3 माह के किराए की राषि सम्बन्धित दुकानदार की प्रतिभूति राषि से काटी जाएगी व दुकान खाली करवा कर पुनः बोली करवाकर आबंटित की जाऐगी। अनुबन्ध में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी दोषी दुकानदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही न करने के कारण दिनांक 31.03.2010 को दुकानदारों से किराए के रूप में ₹4,93,290/–वसूली हेतु शेष थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप

वांछित कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि किराए के रूप में अदत्त राषि को अविलम्ब वसूलना सम्भव हो सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **vuqcU/k dh 'krksZ ds vuq:i nqdkunkjksa }kjk fdjk;k u tek djus ds dkj.k n; C;kt o n.M C;kt dh olwyh u djuk %&**

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा की दुकान नम्बर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 व 36 अनुबन्ध के आधार पर आबंटित की गई थी अनुबन्ध की शर्त 10 के अनुसार दुकान लीज पर लेने वाला व्यक्ति प्रत्येक माह की 7 तारीख को आने वाले माह का किराया अग्रिम के रूप में देगा व ऐसा न करने व देरी की स्थिति में ब्याज 10% व दण्ड ब्याज 2% वार्षिक वसूला जाएगा। दुकानदार यदि लगातार 6 माह तक किराए का भुगतान नहीं करेगा तो दुकान खाली करवा ली जाएगी। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त उल्लेखित दुकानदारों से किराए वसूलते समय उक्त नियम की अनुपालना न करते हुए ब्याज व दण्ड ब्याज 12% वार्षिक दर से वसूला नहीं गया है, जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को जहां एक तरफ कई हजारों रुपये की आय प्राप्त नहीं हो सकी है वहीं दूसरी तरफ अनुबन्ध की धाराओं का उल्लंधन करने वाले दुकानदारों को अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। अतः अनुबन्ध की उक्त धारा/शर्त का अनुपालना न करने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट किए जाए व आय स्वरूप हुई हानि की गणना करके उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राषि उत्तरदायी व्यक्ति/कर्मचारी से वसूली जानी सुनिष्चित की जाए। दुकान किराये के रूप में अदत्त राषियों का विवरण निम्नलिखित है :–

| Ø0 l0 | nqdku uEcj | nqdkunkj dk uke | 31-03-09 dk vnÙk fdjk;k | 01-04-09 ls 31-03-10 dk n; fdjk;k | Hkqxrku 01-04-09 ls 31-03-10 rd | 31-03-10 dk vnÙk fdjk;k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | श्री राजेन्द्र कुमार | 11424 | 4380 | 7000 | 8804 |
| 2 | 29 | श्री अजीत कुमार | 5400 | 2640 | 2500 | 5540 |
| 3 | 30 | श्रीमति सरोज कुमारी | 2200 | 2640 | 1000 | 3840 |
| 4 | 31 | श्री जगपाल | 2486 | 2496 | 2486 | 2496 |
| 5 | 32 | श्रीमति रानी देवी | 730 | 4380 | 2920 | 2190 |
| 6 | 33 | श्री करतार सिंह | — | 4176 | 3132 | 1044 |
| 7 | 34 | श्री मोहिन्द्र सिंह | 39030 | 3960 | — | 42990 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | श्री प्यार चन्द | — | 4176 | 1392 | 2784 |
| 9 | 36 | श्री प्रीतम पाल | 2420 | 2640 | 2640 | 2420 |

13 nqdku uEcj 64 ds fdjk,nkj ls vuqcU/k dh 'krZ 3 ds vuqlkj n.M 'kqYd dh olwyh u djus ckjs %&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत सुजानपुर की दुकान नम्बर 64 श्री ओंकार स्वरूप सपुत्र श्री ज्योति प्रकाष को ₹500/—प्रति माह 5 वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 01.05.05 को अनुबन्ध के आधार पर आबंटित की गई। अनुबन्ध की शर्त तीन के अनुसार दुकान लीज पर लेने वाला व्यक्ति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आने वाले माह का किराया अग्रिम के रूप में देगा व ऐसा न करने एवं देरी की स्थिति में प्रतिदिन ₹10/— की दर से दण्ड शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन उक्त दुकानदार से दिनाक 01.04.09 को किराये के रूप में ₹9500/—वसूलने हेतु शेष थे। अवधि 01.04.09 से 31.03.2010 तक ₹500/—प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु ₹6000/—कुल ₹15,500/—में से उक्त दुकानदार द्वारा 22.12.09 को केवल ₹3000/—ही जमा करवाए हैं। इस तरह दिनांक 31.03.10 को उक्त दुकानदार से किराए के रूप में ₹12,500/—लेने शेष हैं, उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009—10 में एक भी बार किराए का भुगतान अनुबन्ध की शर्त 3 के अनुसार प्रत्येक दिन की देरी हेतु ₹10/— प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड शुल्क वसूला जाना अनिवार्य है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा दिनांक 22.12.09 को आंषिक किराया वसूलते समय अनुबन्ध की शर्त 3 की अवहेलना करके उक्त दुकानदार को अप्रत्याषित लाभ देते हुए दण्ड शुल्क की गणना एवं वसूली नहीं की है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त दुकानदार से शेष किराए की वसूली के साथ—साथ दण्ड शुल्क भी अनुबन्ध की शर्त 3 के अनुसार गणना उपरान्त वसूला जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 ykbZlSUl 'kqYd ds :i esa ₹1]540@&olwyh gsrq 'ks"k %&

नगर पंचायत प्रस्ताव संख्याः 144/2008, दिनांक 03.07.2008 के अनुसार शहर में व्यापार कर रहे व्यापारियों के लाईसैन्स बनाने के लिए छोटे व्यापारियों से ₹50/—तथा थोक व्यापारियों से ₹100/—प्रतिवर्ष लाईसैन्स शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि लाईसैन्स शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2010 को विभिन्न व्यापारियों से राषि ₹1,540/—वसूली हेतु शेष थे। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

| Ø0 l0 | 0;olk;h dk uke | vof/k ftldk ykbZlUl 'kYd ikIr ugh gqvk g | ykbZlUl Qhl dh jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अमर नाथ | 2009—10 | 110 |
| 2 | श्री प्रवीण कुमार | 2009—10 | 55 |
| 3 | श्री गुलषन कुमार | 2009—10 | 110 |
| 4 | श्री नरेष गुप्ता एंड सन्ज | 2009—10 | 110 |
| 5 | श्री कुलदीप कुमार | 2009—10 | 110 |
| 6 | श्री तिरलोक चन्द | 2009—10 | 55 |
| 7 | श्रीमति सत्या देवी | 2009—10 | 110 |
| 8 | श्री संजीव कुमार | 2009—10 | 55 |
| 9 | श्री ओम प्रकाष | 2009—10 | 55 |
| 10 | श्री काका कुमार | 2009—10 | 55 |
| 11 | श्री रूपेष कुमार | 2009—10 | 55 |
| 12 | श्री देष राज | 2009—10 | 55 |
| 13 | श्री अरविन्द बंटा | 2009—10 | 55 |
| 14 | श्रीमति कविता शर्मा | 2009—10 | 55 |
| 15 | श्री सतीष कुमार | 2009—10 | 55 |
| 16 | श्री विरेन्द्र रांगड़ा | 2009—10 | 55 |
| 17 | श्री ओम प्रकाष | 2009—10 | 55 |
| 18 | श्री राजेन्द्र कुमार | 2009—10 | 55 |
| 19 | श्री सुमित सूद | 2009—10 | 55 |
| 20 | श्री रंजन शर्मा | 2009—10 | 55 |
| 21 | श्री अष्वनी कुमार | 2009—10 | 55 |
| 22 | श्रीमति सिमरो देवी | 2009—10 | 55 |
| 23 | श्रीमति शकुन्तला देवी | 2009—10 | 55 |
| | | dqy ;kx | ₹1]540@& |

अतः उपरोक्त राषि की सम्बन्धित व्यापारियों से तुरन्त वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 15 rgckt kjh dh jkf'k ₹0-51 yk[k dh de olwyh%&

नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 175/08, दिनांक 24.10.2008 द्वारा दिनांक 01.11.08 से ₹250/– प्रतिमाह रेहड़ी/फड़ी वालों से तहबजारी शुल्क आरोपित किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि तहबाजारी शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2010 को विभिन्न रेहड़ी/फड़ी वालों से ₹51,000/–वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| Øe la[;k | uke | vof/k | jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री कर्म चन्द | 01.03.10 से 31.03.10 | 250 |
| 2 | श्रीमति शीला देवी | 01.03.10 से 31.03.10 | 250 |
| 3 | श्री चमन लाल | 01.02.10 से 31.03.10 | 500 |
| 4 | श्री दिनेष कुमार | 01.11.09 से 31.03.10 | 1250 |
| 5 | श्री नीरज कुमार | 01.03.09 से 31.03.10 | 3250 |
| 6 | श्री मनोज कुमार | 01.04.09 से 31.03.10 | 3000 |
| 7 | श्री रमेष चन्द | 01.11.08 से 31.03.10 | 4250 |
| 8 | श्री करतार चन्द | 01.09.09 से 31.03.10 | 1750 |
| 9 | श्री स्वरूप कुमार | 01.02.09 से 31.03.10 | 3500 |
| 10 | श्री राकेष कुमार | 01.01.10 से 31.03.10 | 750 |
| 11 | श्री सुरेष कुमार | 01.12.09 से 31.03.10 | 1000 |
| 12 | श्री अषोक कुमार | 01.12.09 से 31.03.10 | 1000 |
| 13 | श्री अनिल कुमार | 01.02.10 से 31.03.10 | 500 |
| 14 | श्री संदीप कुमार | 01.02.10 से 31.03.10 | 500 |
| 15 | श्री तिरलोक चन्द | 01.12.08 से 31.03.10 | 4000 |
| 16 | श्री ओम प्रकाष | 01.03.09 से 31.03.10 | 3250 |
| 17 | श्री प्रकाष चन्द | 01.11.08 से 31.03.10 | 4250 |
| 18 | श्रीमति राज कुमारी | 01.02.09 से 31.03.10 | 3500 |
| 19 | श्री सन्सारी लाल | 01.11.08 से 31.03.10 | 4250 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | श्री मंगल सिंह | 01.02.09 से 31.03.10 | 3500 |
| 21 | श्रीमति कमलेष कुमारी | 01.02.09 से 31.03.10 | 3500 |
| 22 | श्रीमति उर्मिला देवी | 01.12.09 से 31.03.10 | 1000 |
| 23 | श्री अरविन्द कुमार | 01.08.09 से 31.03.10 | 2000 |
| | | ;ksx | ₹51]000@& |

अतः उपरोक्त राषि सम्बन्धित रेहड़ी/फड़ी वालों से तुरन्त वसूली जानी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 Lyk\Vj gkÅl Qhl dh jkf'k ₹7]300@&olwyh gsrq 'ks"k ½&

नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 175/08, दिनांक 24.10.2008 द्वारा मीट मार्किट में कटने वाले पशुओं पर ₹25/–प्रति नग की दर से स्लाटर हाऊस फीस का प्रावधान किया गया है। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि स्लाटर हाऊस फीस के रूप में दिनांक 31.03.10 तक राषि ₹7,300/–वसूली हेतु शेष थे। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| Øe la[;k | 0;olk;h dk uke | olwyh ;ksX; jkf'k | fooj.k |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री शादी लाल | 2375 | (95 नग x ₹25/–प्रति नग) |
| 2 | श्री विनोद कुमार | 4675 | (187 नग x ₹25/–प्रति नग) |
| 3 | श्री विषाल कुमार | 250 | (10 नग x ₹25/–प्रति नग) |
| | dqy jkf'k | ₹7]300@& | |

अतः शेष राषि की शीघ्र वसूली करना सुनिष्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्षाई जाए।

17 jkT; foÙk vk;ksx ls izkIr vuqnku jkf'k ₹12-24 yk[k dks yxHkx 55 fnu nsjh ls cSad esa tek djokus ds dkj.k gqbZ C;kt dh gkfu ₹7]376@&dh olwyh ckjs ½&

जाँच के दौरान पाया गया कि शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0डी0–एच(सी)(iv)–1/2009–6971, दिनांक 03.07.2009 के अर्न्तगत राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी अनुदान राषि की प्रथम किस्त ₹12,23,728/– नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुई है। जिसे रोकड़ बही के पृष्ठ–29 पर दिनांक 09.07.2009 को दर्ज किया गया । उक्त राषि का बैंक ड्राफ्ट किस दिन बैंक में जमा करवाया है इस तथ्य की पुष्टि अभिलेख में स्पष्ट नहीं है। उक्त

राषि को पी0एन0बी0 बैंक द्वारा खाता संख्याः 0100128513 में दिनांक 02.09.2009 को क्रैडिट दिया गया जिससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त राषि को नगर पंचायत द्वारा रोकड़ बही में तो 09.07.2009 को दर्ज कर लिया लेकिन उक्त राषि के बैंक ड्राफ्ट को बैंक में 55 दिन की देरी के बाद जमा करवाया। फलस्वरूप नगर पंचायत को ब्याज की राषि ₹7,376/–की हानि हुई है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त ब्याज आय की हानि की वसूली सम्बन्धित बैंक (बैंक द्वारा देरी से क्रैडिट देने की अवस्था में) अथवा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी (नगर पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही की अवस्था में से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ब्याज स्वरूप हुई हानि की गणना निम्नलिखित है। ब्याज स्वरूप हुई आय की हानि =

$$\frac{\text{मूलधन} \times \frac{\text{दर (बचत ब्याज)}}{100}}{\text{वर्ष के कुल दिन}} \times \text{जितने दिन देरी से जमा करवाए गए}$$

$$= \frac{1223728 \times \frac{4}{100}}{365} \times 55 = 7375.89$$

## 18 uxj i pk;r de pkfj;k dk fo’k"k o ru d : i e ₹28]200@&dk xyr ,o vfu;fer Hkxrku

नगर पंचायत के 16 कर्मचारियों जिनमें 8 बेलदार व एक माली व एक चपड़ासी सम्मलित है, को ₹100/– प्रति माह की दर से विषेष वेतन (Special pay) प्रदान किया जा रहा है। जो कि नियमानुसार देय नही थी। अतः अवधि 01.04.09 से 31.03.10 के दौरान भुगतान किए गए विषेष वेतन/वाहन भत्तों की राषि ₹28,200/–की वसूली सुनिष्चित की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

## 19 xyr o ru fu/kkj.k d dkj.k Jh v’kkd dekj l i jokbtj dk ₹2035@&dk vf/kd Hkxrku %&

जाँच के दौरान पाया गया कि श्री अषोक कुमार, सुपरवाईजर को 01.04.09 से 31.03.10 तक गलत वेतन निर्धारण के कारण राषि ₹2035/–का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। जिसका विवरण निम्नलिखत है।

| vf/kd fn;k x;k ey oru fn;k x;k ey oru & n; oru | D.P 50% | I.R. 20% | D.A 54% | dy | ekg | vof/k | vf/kd Hkxrku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3330–3220)110 | 55 | 33 | 107 | 305 | 5 | 01.04.09 से | 1525 |
| (3440–3330) | | | | | | 31.08.09 | |
| (8380–8300)80 | – | – | डी0ए0 27% 22 | 102 | 5 | 01.09.09 से 31.01.10 | 510 |
| | | | | | | dy | ₹2035 |

अतः अधिक भुगतान की राषि ₹2035/–सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 xyr ,o vf/kd oru fu/kkj.k djuk %&

सेवा पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को नए वेतन मानों के अनुरूप गलत वेतन निर्धारण किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

| Øe l[;k | deapkjh dk uke ,o inuke | fu/kkfjr oru ¼i $ xM i½ | fu;ekulkj lgh oru ¼i$xM½ | vUrj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जगजीत कुमार चपड़ासी | 8830 (7430 + 1400) | 8720 (7420 + 1300) | 110 |
| 2 | विनोद कुमार माली | 8050 | 8040 | 10 |
| 3 | श्रीमति परमावती सफाई कर्मचारी | 9070 (7670 + 1400) | 8960 (7660 + 1300) | 110 |

अतः उक्त गलत एवं अधिक वेतन निर्धारण के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन निर्धारण की तिथि से अद्यातन तक दिए गए अधिक भुगतान की गणना उपरान्त सम्पूर्ण राषि सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 vftr vodk'k [kkr e MfcV ifof"V u djuk %&

जगजीत सिंह, चपड़ासी की सेवा पंजिका व व्यक्तिगत नस्ति की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 13.07.09 से 18.07.09 तक 6 दिन का अर्जित अवकाष व्यतीत

किया है। लेकिन उक्त व्यतीत किए अर्जित अवकाष 6 दिन को सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका के अवकाष खाते में डेबिट नहीं किया है। अतः 6 दिन का अर्जित अवकाष व्यतीत करने के बावजूद सम्बन्धित अर्जित अवकाष के खाते से डैबिट न करने का कारण स्पष्ट किया जाए अपेक्षित डैबिट प्रविष्टि अर्जित अवकाष के खाते में की जानी सुनिष्चित की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 fofÙk; o"kZ 2009&10 rd jkf'k ₹0-34 yk[k dk ekuns; dk xyr ,oa vfu;fer Hkqxrku %&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किया गया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | पषु चिकित्सा अधिकारी सुजानपुर टीहरा | ₹75/–प्रतिमाह | ₹900/– वार्षिक |
| (2) | पटवारी, पटवार सर्कल सुजानपुर टीहरा | ₹50/–प्रतिमाह | ₹600/– वार्षिक |

उक्त मानदेय सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि पटवारी को मानदेय देने को प्रस्ताव नगर पंचायत सुजानपुर की सभा द्वारा प्रस्ताव संख्याः 10, दिनांक 17.03.1988 व पशु चिकित्सा अधिकारी को मानदेय देने का प्रस्ताव नगर पंचायत सुजानपुर टिहरा के प्रस्ताव संख्याः 3 दिनांक 08.09.1988 के अर्न्तगत पारित किया है। उक्त दोनों प्रस्तावों में यह उल्लेखित था कि मानदेय की स्वीकृति जिलाधीष हमीरपुर से प्राप्त की जाएगी व तदोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। लेकिन जिलाधीष, हमीरपुर से आज दिन तक उक्त मानदेय को भुगतान करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई उसके बावजूद उक्त उल्लेखित दोनों कर्मचारियों को वर्ष 1988 से वर्ष 2010 तक अनियमित एवं गलत तरीके मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 1988 से अब तक पशु चिकित्सा अधिकारी, सुजानपुर टिहरा व पटवारी पटवार वृत सुजानपुर टीहरा में कार्यरत रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को गलत एंव अनियमित भुगतान की गणना निम्नलिखित प्रकार से थी।

| Ø0 l0 | deZpkjh@vf/kdkjh dk in | vof/k | dqy ekg | nj | xyr ,oa vfu;fer Hkqxrku dh jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पशु चिकित्सा अधिकारी | 01.09.88 से 31.03.10 | 268 | 75 | 20100 |
| 2 | पटवारी | 01.04.88 से 31.03.10 | 273 | 50 | 13,650 |

| | |
|---|---|
| d|y ;kx | ₹33]750@& |

अतः उक्त गलत एवं अनियमित भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति जिलाधीष हमीरपुर से प्राप्त करें अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारण के उपरान्त, सम्पूर्ण राषि की वसूली उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है।

23 Jh jkds'k dqekj] vf/koDrk dks jkf'k ₹0-60 yk[k dk ekuns; dk xyr Hkqxrku %&

नगर पंचायत सुजानपुर टिहरा द्वारा श्री राकेष कुमार, अधिवक्ता को ₹1000/–प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। चर्चा के दौरान बताया गया कि यह भुगतान उक्त अधिवक्ता की स्थाई परामर्षी की नियुक्ति के एवज़ में दिया जा रहा है। अधिवक्ता की स्थाई परामर्षी की नियुक्ति प्रस्ताव संख्याः 129 वर्ष 2000 के अर्न्तगत उस समय की नगर पंचायत सुजानपुर के सदन द्वारा की गई थी। नगर पंचायत सुजानपुर द्वारा अवधि 01.04.2005 से 31.03.2010 तक किसी भी प्रकार की वसूली का मामला जिला समाहर्ता के पास न तो वसूली हेतु भेजा गया था व न ही उक्त अधिवक्ता की सेवाओं का प्रयोग किया गया। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि सेवाओं का प्रयोग नहीं होने, देने की अवस्था में उक्त मानदेय के रूप में 5 वर्षों हेतु प्रति वर्ष ₹12000/–(₹1000 प्रति माह x 12 माह) की दर से भुगतान किया गया। मानदेय की राषि ₹60,000/–अनुचित व गैर जरूरी थी। अतः वर्ष 2005 से दिए जा रहे मानदेय को तथ्यों एवं आंकड़ों सहित नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹60,000/–की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

24 lfpo dks jkf'k ₹0-19 yk[k dk vkoklh; VsyhQksu@lsyQksu ds 0;; dh vfu;fer izfriwfrZ ds dkj.k vf/kd Hkqxrku %&

पत्र संख्याः UD-H(C)-(7)-19/97-II-10199-10246, दिनांक 15.09.2007 के अर्न्तगत, सचिव, नगर पंचायत को ₹800/–प्रति माह की दर से (आवासीय लैंडलाईन फोन के ₹400/–प्रतिमाह व सैलफोन के ₹400/–प्रति माह) नगर पंचायत खाते से भुगतान किया गया था। उक्त पत्र के अनुसार सचिव को ₹400/–प्रति माह आवासीय लैंड लाईन फोन व ₹200/–प्रति माह सैल फोन कुल ₹600/–प्रति माह की दर से भुगतान करने के आदेष थे। उक्त पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि आवासीय लैंड लाईन फोन का प्रबन्ध सचिव द्वारा किया जाना है। लेकिन पंचायत के सचिव द्वारा अपने निवास में लैंड लाईन फोन का प्रबन्ध नहीं किया है अर्थात आवासीय लैंड लाईन फोन न होने के बावजूद सचिव द्वारा आवासीय लैंड लाईन फोन का

₹400/–प्रति माह भुगतान प्राप्त करना व सैल फोन का ₹200/–प्रति माह की जगह ₹400/–प्रति माह कुल ₹800/– प्रति माह का भुगतान प्राप्त करना जहां वित्तीय नियमों की व उक्त पत्र की गम्भीर अवहेलना है, वहीं दूसरी तरफ अवधि 01.08.07 से 31.03.2010 तक सचिव को ₹19,200/–का गलत एवं अनियमित भुगतान हुआ हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(i) अवधि 01.08.07 से 31.03.10 तक लैंड लाईन फोन न होने के बावजूद दिए गए ₹400/–प्रति माह की दर 32 माह हेतु गलत एवं अधिक भुगतान = ₹12,800/–

(ii) उपरोक्त उल्लेखित अवधि हेतु ₹200/–की जगह लिए गए ₹400/–प्रति माह के कारण ₹200/–प्रतिमाह की दर से 32 माह हेतु गलत एवं अधिक भुगतान = ₹6400/–

कुल गलत एवं अधिक भुगतान = ₹19200/–

अतः सम्पूर्ण राषि ₹19,200/–की वसूली सम्बन्धित सचिव से की जानी सुनिष्चित की जाए व तुरन्त प्रभाव से गलत एवं अधिक किए जा रहे प्रति माह भुगतान पर रोक लगाई जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अविलम्ब अवगत करवाया जाए।

25 lfpo] uxj ipk;r l|tkui|j Vhgjk dk fn, x, vkokl dh ,ot e edku fdjk, HkÙk o vkokl d fctyh ,o ikuh d fcyk dk xyr Hkxrku o ykbl l 'kYd dh olyh u dju ckj

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचनाओं की जाँच करने पर पाया गया कि सचिव, को नगर पंचायत द्वारा सुसज्जित आवास प्रदान किया गया है। उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार माह मई, 2009 देय जून 2009 से उक्त कर्मचारी का मकान किराया भत्ता बन्द कर दिया है व लाईसैंस फीस के रूप में माह मई, 2009 देय जून, 2009 से ₹194/–की वसूली भी की जा रही है व जुलाई, 2009 से पानी व बिजली बिल भी सचिव द्वारा स्वयं दिए जा रहे हैं। लेकिन उक्त अवधि से पूर्व जिस माह से सचिव को आवास प्रदान किया गया है उस माह से अप्रैल, 2009 तक सचिव को अनियमित एवं गलत तरीके से भुगतान किए गए मकान किराये भत्ते, बिजली एवं पानी के बिलों व लाईसैंस फीस की वसूली सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। अतः कार्य ग्रहण की तिथि से माह अप्रैल देय माई, 2009 तक दिए गए आवास/मकान किराये भत्ते की ₹250/–प्रति माह निवास/आवास के बिजली एवं पानी के बिलों की राषि की वसूली कार्य ग्रहण से जुलाई, 2009 तक व लाईसैंस फीस की वसूली कार्य ग्रहण की तिथि से अप्रैल, 2009 तक न करने के कारणों को

स्पष्ट किया जाए। गणना उपरान्त सम्पूर्ण राषि की वसूली सम्बन्धित सचिव से की जानी सुनिष्चित की जाए।

26 ,xks bUMLVªht Tokykeq[kh }kjk rkjdksy dh de vkiwfrZ dk dkj.k jkf'k ₹0-38 yk[k dh gkfu

वाऊचर संख्याः 66, दिनांक 02.05.2009 के द्वारा ₹8,29,587/—की अग्रिम राषि का भुगतान हिमाचल प्रदेष एग्रो उद्योग ज्वालामुखी को 150 ड्रम तारकोल प्रत्येक ड्रम 156 किलो ग्राम अर्थात 23.400 मैट्रिक टन तारकोल की आपूर्ति हेतु किया गया। उक्त अग्रिम के विरूद्ध हिमाचल प्रदेष एग्रो इन्डस्ट्रीज ज्वालामुखी द्वारा 161.800 कि0ग्रा0 प्रति ड्रम बजन वाले तारकोल के 138 ड्रम अपूर्ति किए गए। उक्त अग्रिम राषि 22.328 मैट्रिक टन तारकोल ही नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा के प्राप्त हुआ, फलस्वरूप हिमाचल प्रदेष एग्रो उद्योग ज्वालामुखी द्वारा 1.072 मैट्रिक टन (23.400 — 22.328) कम तारकोल की अपूर्ति की गई थी। उक्त 23.400 मैट्रिक टन तारकोल की जगह 22.328 मैट्रिक टन अर्थात 1.072 मैट्रिक टन तारकोल की कम अपूर्ति होने के बावजूद भी नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा द्वारा शेष बची 1.072 मैट्रिक टन तारकोल को प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष बची तारकोल 1.072 मैट्रिक टन की अपूर्ति प्राप्त करने हेतु ठोस कार्यवाही अमल मे लाई जाए अन्यथा ₹38,017/—की राषि के कम अपूर्ति किए गए तारकोल की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

27 ₹297@&dk vf/kd Hkqxrku %&

| | |
|---|---|
| कार्य का नाम | वार्ड नम्बर 4 में श्रीमति सन्षानी देवी के घर से मुख्य सड़क तक रास्ते का निर्माण |
| ठेकेदार का नाम | श्री दौलत राम |
| कार्य आबंटन पत्र सं0 | 292—93, दिनांक 18.02.2009 |
| कार्य आरम्भ करने की तिथि | 21.02.2009 |
| कार्य समाप्त करने की तिथि | 26.04.2009 |

उक्त कार्य की माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्याः 52 पर क्षेत्रफल निकालते समय कुल क्षेत्रफल 190.01 वर्ग मीटर की जगह 190.83 वर्ग मीटर दर्षाने के कारण सम्पूर्ण कार्य हेतु ₹297/—(201 + 48 प्रतिषत प्रीमियम) का अधिक भुगतान हुआ है। अतः

उक्त राषि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूलने उपरान्त नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 fuEu x|.kork o fof'k"Vrk d: dk;k dk fu"iknu %&

| | |
|---|---|
| कार्य का नाम | Metalling/Tarring and annual surfacing, repair of road from main bazaar to Nardeshwar Temple |
| आबंटन संख्याः | 817, दिनांक 08.07.09 |
| कार्य आरम्भ करने की तिथि | 01.09.09 |
| कार्य समाप्त करने की तिथि | 31.10.09 |
| ठेकेदार का नाम | श्री विनय कुमार |
| माप पुस्तिका नम्बर | 34 पेज 21 |

उक्त कार्य के अर्न्तगत कुल 3715.51 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर वी ग्रेडिंग का मैटलिंग/टारिंग का कार्य किया गया। वी ग्रेडिंग की मैटलिंग/टारिंग के लिए नियमुानसार एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु 2.58 किलोग्राम तारकोल का प्रयोग होना अनिवार्य है ताकि मैटलिंग/टारिंग निर्धारित गुणवत्ता एवं विषिष्टता के अनुरूप हो। यहां यह भी उल्लेखित करना उचित रहेगा कि तारकोल की अपूर्ति ठेकेदार को नगर पंचायत द्वारा की गई। नियमानुसार उक्त सम्पूर्ण कार्य 3715.51 वर्ग मीटर हेतु 2.58 प्रति वर्ग मीटर की दर 9586 किलोग्राम तारकोल अर्थात 161.800 किलोग्राम तारकोल के ड्रमों के हिसाब से 59.24 तारकोल के ड्रमो का प्रयोग होना अनिवार्य था। जाँच पर पाया गया कि उक्त कार्य हेतु 161.800 किलोग्राम वजन वाले 50 ड्रम तारकोल के जारी एवं प्रयोग किए गए। फलस्वरूप 9.25 ड्रम प्रति ड्रम 161.800 कि0ग्रा0 तारकोल के हिसाब से 1495.03 कि0ग्रा0 तारकोल कम प्रयोग करने के कारण उक्त कार्य निम्न गुणवता एवं विषिष्टता का हुआ है। उक्त कार्य में तारकोल की 5 प्रतिषत + निर्धारित खपत पर जमा घटाव भिन्नता भी प्रदान कर दी जाए तब भी 9107 किलोग्राम (9586–479) अर्थात 56.28 ड्रम कम तारकोल प्रयोग किया गया है। उक्त तथ्य स्वतः स्पष्ट करते हैं कि कार्य निम्न गुणवता एवं विषिष्टता वाला हुआ है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28-1 माप पुस्तिका नम्बर 38 पेज 34 पर सम्बन्धित ठेकेदार को 4142 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु 55 ड्रम तारकोल जारी एवं प्रयोग किया गया है। जबकि नियमानुसार उक्त क्षेत्रफल हेतु 66 ड्रम तारकोल का प्रयोग होना अनिवार्य था। फलस्वरूप 11 ड्रम (66–55) अर्थात 1779.80 किलो ग्राम कम तारकोल जारी एवं प्रयोग किया है। उक्त कार्य हेतु 10678.80 कि0ग्रा0 तारकोल का प्रयोग होना नियमानुसार अनिवार्य था। अगर उक्त कार्य में तारकोल की निर्धारित खपत पर 5% जमा, घटाव भिन्नता भी प्रदान कर दी जाए तब भी (10678.80–533.94) 10144.86 कि0ग्रा0 तारकोल अर्थात 62.7 ड्रम तारकोल (161.80 किलोग्राम बजन प्रति ड्रम की दर से) का प्रयोग होना नियमानुसार अनिवार्य था। भिन्नता प्रदान करने के बावजूद भी उक्त कार्य 3.3 ड्रम अर्थात 533.94 किलोग्राम कम तारकोल की खपत हुई है। फलस्वरूप उक्त कार्य निम्न गुणवता एवं विषिष्टता वाला किया गया जिस हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 vu|nku dh jkf'k ₹0-37 yk[k dk vUkkf/kdr 0;; %&

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा द्वारा निम्नलिखित सामान क्रय करने पर ₹37,200/–का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

| Ø0 l0 | fnukd | Qe dk uke o irk | lkeku dk uke | ek=k | nj | eY; |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.02.10 | अंकित इल्किट्रीकल सुजानपुर टीहरा | हीट पिल्लर 1500 वाट | 6 | 2850 | 17250 |
| 2 | 22.02.10 | सुभम टैक्नोलॉजी हमीरपुर | एच0पी0 लेजर जैट प्रिंटर | 3 | 6650 | 19950 |
| | | | | ;kx | ₹37]200@& | |

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के नियमों के अर्न्तगत कार्यालय प्रयोग हेतु उपरोक्त उल्लेखित सामान क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देष्य शहरी गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार उघम स्थापित करने हेतु सहायता देना व मजदूरी के रूप में रोजगार देना है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषि को शहरी गरीब लोगों के हित एवं विकास पर व्यय न करके स्वेच्छानुसार व्यय करना स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः अनुदान से किए गए अनाधिकृत व्यय का कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमित करवाना सुनिष्चित किया जाए।

30 माह 05/09 की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्याः 98 से 103 तक ₹2714/– का भुगतान मैं0 शर्मा फोटोस्टेट, सुजानपुर को विभिन्न बिलों के अर्न्तगत निम्न विवरणानुसार किया गया।

| Øe l[;k | fcy uEcj | vof/k | fcy dh jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1 | 1417 | 01.02.2009 से 10.02.2009 | ₹490/– |
| 2 | 1424 | 11.02.2009 से 28.02.2009 | ₹495/– |
| 3 | 1426 | 01.03.2009 से 15.03.2009 | ₹490/– |
| 4 | 1428 | 18.03.2009 | ₹381/– |
| 5 | 1449 | 15.03.2009 से 31.03.2009 | ₹388/– |
| 6 | 1465 | 01.04.2009 से 30.04.2009 | ₹470/– |
| | | ;kx | ₹2]714@& |

नगर पंचायत सुजानपुर टिहरा द्वारा उपरोक्त बिलों के अर्न्तगत फोटोस्टेट करने के एवज़ में भुगतान की गई राषि ₹2,714/–के समर्थन में कोई भी स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि सम्भव हो सके कि केवल 3 माह के दौरान 2,714 फोटोस्टेट कॉपियां किस अभिलेख की करवाई गई हैं। 90 दिन के भीतर 2714 छाया प्रतियां करवाना व छाया प्रतियां करवाने से सम्बन्धित अभिलेख न रखने के कारण उक्त भुगतान सन्देहात्मक प्रतीत होता है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राषि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जाए।

31 वाऊचर संख्याः 96, दिनांक 21.05.09 के अर्न्तगत हिमालय मॉर्डन इन्जीनियरिंग वर्क, ज्वालामुखी को ₹25,313/–का भुगतान 5 हैंड कार्ट (कूडा रेहड़ी 250 किलोग्राम क्षमता वाली) के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार किया गया :–

| Øe l[;k | fcy l[;k | fnukd | fooj.k | ek=k | nj | eY; |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 04.03.09 | हैंड कार्ट | 5 | 4500 | 22,500.00 |
| | | | | | वैट 12.5% | 2,812.50 |
| | | | | | dy ;kx | 25]312-50 |

उपरोक्त बिल की जाँच करने पर पाया गया कि क्रय करने से पूर्व निर्धारित औपचारिक्ताएं जैसे निविदाएं आमंत्रित करना, निविदाओं का प्राप्त होना, तुलनात्मक अध्यन विवरणी व अपूर्ति पत्र इत्यादि पूर्ण नहीं की गई। निर्धारित औपचारिकताओं के अभाव में स्पष्ट है कि उक्त क्रय पूर्ण बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए बगैर किया गया था। इसके अतिरिक्त अपूर्ति कर्त्ता फर्म ने

उचित एवं वैद्य बिल नहीं दिया है व दिए गए बिल में सम्बन्धित फर्म का सेल टैक्स नम्बर भी उल्लेखित नहीं है। तथा न ही एस0टी0/सी0एस0टी0 नम्बर उल्लेखित है एस0टी0/सी0एस0टी0 नम्बर के अभाव में कोई भी फर्म 12.5% की दर से वैट चार्ज नहीं कर सकती है। अतः मूल्य वर्धित टैक्स के रूप में उपरोक्त बिल के अर्न्तगत किया गया भुगतान ₹2,813/–नियमों के विपरीत है जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से की जानी सुनिष्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 y?k vkifÙk foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

33 fu"d"k %& लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V(58)/76 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1- निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

i:thdr %& 2- सचिव, नगर पंचायत सुजानपुर टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिष्चित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½

## ifjf'k"V&^v**

uxj iapk;r lqtkuiqj] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa vof/k 04@2009 ls 03@2010 rd ds vads{k.k o fujh{k.k izfrosnu ds xr vads{k.k iSjksa dh fLFkfr %&

¼1½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@81 ls 03@82

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(ए) | अनिर्णीत |

¼2½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@82 ls 03@86

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5(बी) | अनिर्णीत |

¼3½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@86 ls 03@88

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5(बी) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 5(सी) | अनिर्णीत |

¼4½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@91 ls 03@92

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 11 | निर्णीत |

¼5½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@92 ls 03@95

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9(ख) | निर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | पैरा 13(3) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 16(1) | अनिर्णीत |

¼6½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@2004 ls 03@2007

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 1 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 2(क)(ख)(ग) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 3 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 4(क) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 4(ख) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 4(ग) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 6(क) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 6(ग) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 7(क) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 7(ख) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 7(ग) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 7(घ) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 7(ङ) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 7(च) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 9 | अनिर्णीत |

¼7½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@2007 ls 03@2009

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | निर्णीत |
| 2 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8(क) | निर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | पैरा 8(ख) | निर्णीत |
| 5 | पैरा 8(ग) | निर्णीत |
| 6 | पैरा 8(घ) | निर्णीत |
| 7 | पैरा 8(ङ) | निर्णीत |
| 8 | पैरा 8(च) | निर्णीत |
| 9 | पैरा 9(क) | निर्णीत |
| 10 | पैरा 9(ख) | निर्णीत |
| 11 | पैरा 9(ग)(1) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 9(ग)(2) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 9(घ) | निर्णीत |
| 14 | पैरा 9(ङ) | निर्णीत |
| 15 | पैरा 9(च) | निर्णीत |
| 16 | पैरा 9(छ) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 9(ज) | निर्णीत |
| 18 | पैरा 9(झ) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 9(ञ) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 9(ट) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 9(ठ) | निर्णीत |
| 22 | पैरा 10(क) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 10(ख) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 10(ग) | निर्णीत |
| 25 | पैरा 10(घ) | निर्णीत |
| 26 | पैरा 10(ङ)(1) | निर्णीत |
| 27 | पैरा 10(ङ)(2) | निर्णीत |
| 28 | पैरा 10(ङ)(3) | निर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | पैरा 10(च) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 10(छ) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 10(ज)(1) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 10(ज)(2) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 11(क) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 11(ख)(1) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 11(ख)(2) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 11(ख)(3) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 11(ख)(4) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 11(ख)(5) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 11(ग)(1) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 11(ग)(2) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 11(ग)(3) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 11(ग)(4) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा 11(ग)(5) | निर्णीत |
| 44 | पैरा 11(घ)(1) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा 11(घ)(2) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा 11(घ)(3) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा 11(घ)(4) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा 11(ङ) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 11(च) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 11(छ) | निर्णीत |
| 51 | पैरा 11(ज) | निर्णीत |
| 52 | पैरा 11(झ)(1) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा 11(झ)(2) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 54 | पैरा 11(झ)(3) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा 11(झ)(4) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा 11(ञ) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा 11(ट) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा 12(क) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा 12(ख) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा 12(ग) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा 13(क) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा 13(ख) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा 15 | अनिर्णीत |